

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002.
(विकलांग कल्याण शाखा)

मिसिल सं० 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2014/Part-I/

दिनांक :-

सेवा में,

श्री राम आशीष शर्मा,
पता सं० न० 189, करण विहार,
फाई-II, किराड़ी सुलेमान नगर,
दिल्ली-110086

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।

संदर्भ :- F.N. 41(45)/FAS/DSW/Jun. Act 2005/179/2014-15/418 dt 31/03/15

I.D. NO :- 2014445/RTI Cell/DSW/2014-15/24360 dt 30/03/2015

श्रीमान्

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में दिनांक 8/4/2015 को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माँगी गई जानकारी समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न प्रकार है:-

प्रश्न संख्या	उत्तर
(i)	समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी "खम्बर ए" के रूप में संग्रहित हैं।
(ii), (iii) व (v)	उपरोक्त प्रश्न संख्या (i) के उत्तर अनुसार
(iv)	स्थानान्तरित
(vi) व (vii)	<p>(a) दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग क्षेत्र विकास निगम लि०, अम्बेडकर भवन, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085 द्वारा स्वरोजगार हेतु रियायती ऋण पर ऋण योजना चलाई जा रही हैं।</p> <p>(b) विकलांगों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के लिए आप विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5वां तल, पर्यावरण भवन स्त्री.जी.ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से सम्पर्क कर सकते हैं।</p>

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलिय अधिकारी/अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली के श्रेष्ठ अपील कर सकते हैं।

भवदीय
मेधा
30/3/2015

प्रतिलिपी :-

13 APR 2014

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कम्प्यूटर सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली - समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
2. उपनिदेशक (आर.टी.आई. सेल), समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली - सूचना हेतु।
3. उपनिदेशक (आर्थिक अनुभाग शाखा), समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली - सूचना हेतु।

हेला
१०/४/२०१४

सहायक निदेशक (विकलांग)

- (1) विकलांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत 'नेशनल प्रोग्राम फोर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिस्पैबिलिटीज' (एन.पी.आर.पी.डी.) की स्कीम है। इसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, (विकलांग कल्याण शाखा) निःषक्त जन हेतु General Disability Camp, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पिविर का आयोजन करता है इस पिविर(कैम्प) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे :-
1. विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नोटिफाइड क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है,
 2. विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है,
 3. इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,
 5. आउटिजम व सेरेब्रल पल्सी व्यक्तियों हेतु सेवाएं
 6. एड्स एण्ड अप्लाइंसेज
 7. समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना की फार्म

- (2) समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, की आर्थिक सहायता अनुभाग शाखा द्वारा विकलांगों को नियमानुसार 1500 रु की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है।

२
०९/५/१५